

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, चूरु

क्रमांक: f 14 () relief/kharif/2078/618-28

दिनांक: 07.04.2022

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2078/CHU/0004090

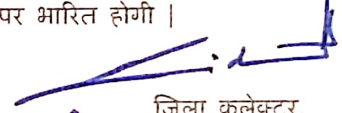
प्रशासनिक स्वीकृति

व्यपय:- अभाव संवत् 2078 के प्रभावित कृषकों हेतु कृष आदान अनुदान वावत् ।

राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के सूखा प्रकोप से प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2078 (खरीफ-III 2021) में कृष आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
तारानगर	397	□□□	33%-50%	2891816
योग	397			2891816

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[05]-12 वजट मद पर भारित होगी ।


जिला कलेक्टर,
चूरु

प्रतिप्रेष:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,बी.कानेर.....
3. प्रशाष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....चूरु.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....चूरु.....
7. तहसीलदार तारानगर.....चूरु.....
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....चूरु.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....चूरु.....
10. रक्षित पत्रावली।


जिला कलेक्टर,
चूरु